

# Order Sheet [Contd]

Case No -

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
28-10-2017	<p>पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त द्वारा श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता।</p> <p>परिवादी द्वारा ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता।</p> <p>जिला अभिलेखागार भिण्ड से मूल अभिलेख प्र0क0 54/12 विद्युत बनाम महेश प्राप्त।</p> <p>प्रकरण को पुनः नम्बर पर दर्ज किया जावे।</p> <p>आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.सी. यादव द्वारा आरोपी का नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. पेश किया गया।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र में निवेदन किया गया है कि आवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी कम्पनी ने झूठा परिवाद प्रस्तुत किया है, जिसमें कि आरोपी को न्यायालय द्वारा जरिए वारंट तलब किया गया था जिसके पालन में उसे पुलिस द्वारा गलत रूप से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक दिनांक 24.10.2017 से अभिरक्षा में है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेंगे अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अध्ययन किया गया। आवेदक/आरोपी के विरुद्ध परिवादी विद्युत विभाग ने धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का परिवादपत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें कि आरोपी को प्रदत्त विद्युत कनेक्शन पर विद्युत विल की बकाया राशि होने से उसे अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, किन्तु उपरांत भी आवेदक/आरोपी के द्वारा दिनांक 06.03.12 को चैकिंग के दौरान अवैध रूप से सीधे तार डालकर अपने मकान में विद्युत का उपयोग किया जा रहा था, जिस संबंध में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आरोपी के न</p>	

मिलने की दशा में उसे फरार घोषित कर दिनांक 12.09.2017 को स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आरोपी दिनांक 24.10.2017 से अभिरक्षा में है। प्रकरण अभी प्रारंभिक स्टेज पर है जिसके निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त महेश गौड़ की ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य 20,000/-रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत किया जावे तो उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जावे:-

1. आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
2. परिवादी साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा।
3. फरार नहीं होगा।
4. विचारण में सहयोग करेगा।
5. विचारण के दौरान अभियुक्त समान अपराध कारित नहीं करेगा।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

बण्डल फाइल मूल अभिलेख में संलग्न की जावे।

प्रकरण आरोपी तर्क हेतु दिनांक 31.10.17 को पेश हो।

मोहम्मद अजहर

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद